फॉम सं.:-.............. कार्यालय अंचल अधिकारी, बुढ़मू, राँची।

आदेश-पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रांक ....तारीख.............. से .... तक ....जिला राँची।
वाद सं०- 05/22-23 केश का प्रकार- 05/2022-23 (विविध वाद)

आदेश की क्रम संख्या व तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर लाल राम कृष्ण नाथ शाहदेव बनाम सरकार।	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3
25/11/2022	**आदेश** इस वाद की कार्यवाही लाल राम कृष्ण नाथ शाहदेव, वल्द- स्व० लाल विजय नाथ शाहदेव निवासी ग्राम- गिंजोठाकुरगाँव, थाना- ठाकुरगाँव, जिला-राँची द्वारा दिए आवेदन से प्रारंभ हुई। आवेदक ने दिनांक- 01.11.2021 को अंचल कार्यालय, बुढ़मू में आवेदन देकर मौजा- बरौदी के खेवट नं०-1, खाता नं०-1, प्लॉट सं०-895, 904, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332 और 1333, खाता सं०-2, प्लॉट सं०- 195, खाता सं०-3, प्लॉट सं०- 1461, कुल रकबा- 8.64 एकड़ भूमि को ऑनलाईन पंजी- ॥ में श्री श्री भवानी शंकर जी, मौजुदा शिवैत लाल राम कृष्ण नाथ शाहदेव के नाम से दर्ज करने का अनुरोध किया है। भूमि का विवरण निम्नवत् है -	

अंचल	मौजा	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा
बुढ़मू	बरौदी	01	895	0.06 एकड़
			904	0.10 एकड़
			1328	0.79 एकड़
			1329	1.02 एकड़
			1330	0.65 एकड़
			1331	0.96 एकड़
			1332	1.08 एकड़
			1333	0.39 एकड़
बुढ़मू	बरौदी	02	195	3.49 एकड़
बुढ़मू	बरौदी	03	1461	0.10 एकड़

कार्यालय पत्रांक- 604(॥), दिनांक- 01.11.2022 के आलोक में सर्वसाधारण सूचना निर्गत किया गया है। नोटिस का तामिला हुआ है। किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। राजस्व उप निरीक्षक हल्का-10/ अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि -

" बुढ़मू अंचल अंतर्गत मौजा- बरौदी के खाता नं०-1, प्लॉट

(हस्ताक्षर)

Scanned with CamScanner

सं.–895, 904, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, रकबा– 5.05 एकड़ भूमि आर. एस. खतियान में मझिहस मालिक दर्ज है। खाता सं.–2, प्लॉट सं.– 195, रकबा– 3.49 एकड़ भूमि आर. एस. खतियान में वेठखेता मालिक दर्ज है एवं खाता सं.– 3, प्लॉट सं.– 1461, रकबा– 0.10 एकड़ भूमि खतियान में वकास्त मालिक दर्ज है। उल्लेखित भूमि आवेदक के वंशज श्री चन्द्रमोहन नाथ साहदेव को वजरिये रजिस्ट्री डीड सं.– 4530, दिनांक– 06.11.2052 प्राप्त हुई है। उल्लेखित भूमि कुल रकबा– 8.64 एकड़ की जमाबंदी मूल पंजी– II में दर्ज थी एवं लगान रसीद भी निर्गत होता था। परन्तु पंजी– II का पन्ना फट जाने के कारण लगान रसीद निर्गत होना बंद हो गया है। आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल–कब्जा है एवं भूमि से उपजे फसल से ही भवानी शंकर मंदिर, ठाकुरगाँव का खर्च चलता है। आवेदक के नाम भूमि की ऑनलाईन पंजी– II में इन्द्राज किया जा सकता है।''

इसी प्रकार राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अंचल में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा– बरौदी के खाता नं.–1, प्लॉट सं.–895, 904, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, रकबा– 5.05 एकड़, खाता सं.–2, प्लॉट सं.– 195, रकबा– 3.49 एकड़ एवं खाता सं.– 3, प्लॉट सं.– 1461, रकबा– 0.10 एकड़ एवं कुल रकबा– 8.64 एकड़ भूमि की जमाबंदी पंजी– II में श्री भवानी शंकर सेवैत चन्द्रमोहन नाथ साहदेव के नाम कायत थी एवं लगान रसीद निर्गत होता था। परन्तु पंजी– II के पन्ने फट जाने के कारण जमाबंदी ऑनलाईन नहीं हो पायी एवं लगान रसीद निर्गत होना बंद हो गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निबंधित केवाला सं.– 4530, दिनांक– 06.11.1957 के सत्यापित प्रति में यह प्रावधान/शर्त्त निहित है कि भविष्य में सेवैत के वरिष्ठ पुत्र ही सेवैत होंगे। अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/ अंचल निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि उल्लेखित भूमि की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी– II में '' श्री श्री भवानी शंकर जी, मौजुदा सेवैत लाल राम कृष्ण नाथ शाहदेव'' के नाम दर्ज करें। इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

25/11/2022

अंचल अधिकारी,
बुढ़मू राँची।

25/11/2022

अंचल अधिकारी,
बुढ़मू राँची।

Digitally signed by SHANKAR KUMAR VIDYARTHY
Date: 2023.05.15 12:16:50 +05:30
Location: 192.168.153.153

Scanned with CamSca